


तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>हरदेव बनाम सन्तोष देवी</p> <p>अपील संख्या 147/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00098)</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुक्म की त जारी</p>
12.09.23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2019 से तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं और आज भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जसमुक्त </p>	